बिहार में दलित महिला सशक्तिकरण और समाज का बदलता दृष्टिकोण

Priya Ranjan*

Research Scholar, Sociology, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सारांशः- ***मानव सभ्यता के इतिहास में स्वतंत्रता व सशक्तिकरण का प्रश्न सदा से ही उलझनपूर्ण रहा है। दलित महिला को लेकर जितनी भी व्यावस्थाएं बनी उनमें उसे प्रायः दोयम दर्जे का स्थान ही दिया गया है। इसके लिए हमारी सामाजिक व्यावस्था और पुरूष प्रधन समाज की सोच पूर्णतः उत्तरदायी है। सामाजिक असमानता निरक्षरता, अंधविश्वास, दहेज, जाति प्रथा, लिंग-भेद आदि मुद्दों के विरूद्ध आवाज उठती रही है। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में समानता को समकक्ष रखकर उनके विकास के लिए समान अवसरों की गारंटी दी अनेक प्रावधानों द्वारा दलित महिला को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई। जिससे दलित महिला के अंदर नई चेतना और जागृति का विकास हुआ। और वे समाज के मुख्यधारा में अपने को स्थापित किया। यथा शिक्षा, राजनीति और रोजगार में उनकी सहभागिता गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। जिससे सामाजिक सोच व संरचना में बदलाव आया है।***

प्रमुख शब्द – दलित, महिला, सशक्तिकरण दृष्टिकोण अंधविश्वास, चेतना, जागृति

----------♦----------

भूमिका:

हम 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रवेश कर चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हमारी इंद्रियां अनुभव कर सकती है। मानव की अनेक कल्पनाएं आज हकीकत में बदल चुकी है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपण, धरती के गर्भ में गहरे प्रवेश और समुद्र की सतह का दोहन आज यथार्थ बन चुके हैं। अनेक अविष्कार भी किए गए हैं। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्हें कानून भी बनाए गए हैं। सभ्यता की इस लंबी श्रंखला के बावजूद महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हुए उनके विरुद्ध पाशविक बल का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इसका इस धरती की संपन्न संस्कृति और परंपरा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक समय था जब महिलाओं की वस्तुओं को चोर भी हाथ नहीं लगाते थे। परंतु अब वह दिन चले गए महिला और पुरुष के बीच केवल उदात भावनाओं के साथ प्रगाढ़ता अब अतीत की बात हो चली है। और महिलाओं को अब वासना की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं की गरिमा के प्रतिकूल करतूतें अब आम होती जा रही है। पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरूद्ध बल प्रयोग और बढ़ गया है जिसके कारण छेड़-छाड़, प्रताड़ना, अपहरण, बलात्कार आदि भी घटनाएं ज्यादा हो रही है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष श्रेष्ठता के इस स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की कोई गारंटी नहीं रह गई है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति को मापने का बैरोमीटर उस देश की महिलाओं की स्थिति होती है। परंतु समाजशास्त्रियों के अनुसार महिलाओं की स्थिति को मापना और उसे कमतर या बेहतर बताना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए निश्चित और पक्षपात रहित कोई कसौटी नहीं है। महिलाओं की स्थिति प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होती है। जो प्रचलित मानकों और मूल्यों पर निर्भर होती है। किसी एक देश में भी यह स्थान शहरी अथवा ग्रामीण, धर्म, जाति अथवा समुदाय के अनुसार भी अलग-अलग होती है। महिलाओं की शिक्षा का स्तर, व्यवसाय आय, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका और उन्हें उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधर पर ही उनकी स्थिति का पता चलता है। सामाजिक सशक्तिरण की अवधरणा किसी लोकतंत्रिक प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करती है और तय करती है कि इस प्रक्रिया में कोई छूट ना जाए यह प्रक्रिया हमें उन रास्तों की समीक्षा करने और उन्हें इस दृष्टि से ढालने का अवसर देती है। जिसमें हाशिए के लोग खासकर महिलाओं को सामाजिक प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाए जाने की भावना निहित है। सामाजिक सशक्तिकरण की अवधारणा प्रत्यक्ष राजनीतिक लोकतंत्र की परियोजना सामाजिक

संगठन का एक प्रकार है। जो समाज को आर्थिक राजनीतिक और प्राकृतिक तरीके से पूनः समन्यवित करती है। यह प्रक्रिया दो बड़ी ऐतिहासिक परंपराओं से निकली है। एक विशुद्ध लोकतंत्रिक प्रक्रिया और दूसरी समाजवादी प्रक्रिया इसके तहत प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र और मानव अधिकारों के बीच एक अंतः संवंध देखा जाता है, जो महज समान्य अधिकारों से बड़ा है। संपन्न लोगों और वंचितों के बीच की खाई को पाटने का उद्देश्य एक सामाजिक सशक्तिकरण मॉडल की मांग करता है। यह सिर्फ कानून का अधिकार दे देने और महिलाओं को समानता के अवसर पर ला देने से ही नहीं होगा। बल्कि महिलाओं को उपयुक्त और समुचित क्षमता की ताकत भी देनी होगी। ताकि सामाजिक और राजनीतिक मंच पर वे अपनी आवाज मजबूती से उठा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मजबूत लोकतंत्र वही है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गो के बीच असमानता सामाजिक तनाव और क्रोध की कोई गुंजाइश न रहे।

सशक्तिकरण:-समाज में महिलाओं के अधिकारों का हनन होने के कारण विभिन्न शोधो के आधार पर निम्न है:-

1. अज्ञानत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिला एवं लड़कियों अपने अधिकारों को नहीं जानती वे अभी भी दूसरों के निर्भय को सर्वोपरि मानकर उन्हें अपना लेती है।

2. जागरूकता की कमी:- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में अपने अधिकारों तथा सरकारी स्तर पर उनके लिए उपलब्ध कराये गये। सशक्तिकरण, दृष्टिकोण अंधविश्वास, चेतना, जागृति योजनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं है और न उन्हें उसके लाभ-हानि का हो पता है। वे परम्परागत सोच के आधार पर जीवन वसर कर रही है।

3. गरीबी:- गरीबी एक अभिशाप है। अधिकांश महिला भाग्यवादी होती है। वे गरीबी को नियती मान लेती है और अपनी जिन्दगी को ईश्वर की दी हुई मान लेती है। वह सबकुछ ईश्वर के द्वारा ही होती है मान कर गरीबी को भी स्वीकार कर लेती है और इससे मुक्ति के लिए प्रयास नही करती है।

4. बाल विवाह:- दलित परिवार में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम आयु में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है जिससे उसे अनेक प्रकार की समस्याओं की सामना करना पड़ता है। वे असमय माँ बन जाती है जिससे उसके जच्चा और बच्चा दोनों के जान का खतरा बना रहता है। अनेक प्रकार के बिमारियों का भी कारण बन जाता है कम उम्र में शादी उपरोक्त सभी समस्याओं का समाधान तभी सम्भव है जब समाज में जागरूकता पैदा की जाए। दलित महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी दी जाए। उनमें शिक्षा का प्रसार किया जाए। सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर किये गये-प्रयास से उसे लाभान्वित किया जाए। वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 31 जनवरी 1992 में गठित "राष्ट्रीय महिला आयोग" ने एक बिल तैयार किया है जिसके तहत महिला लड़कियों की शालीनता को आधार पहुँचाता कानून के संज्ञान में अपराध माना जाएगा।

वर्तमान समय में सरकार तथा समाज संवैधानिक नियमों के आधार पर दलित महिलाओं के प्रति वचनबद्ध है वह समता के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें सभी लोग सदभाव से जीवन व्यतीत कर सके।

अध्ययन का उदेश्य

1. दलित महिलाओं के सशक्तिकरण का अध्ययन करना।

2. दलित महिला की समाजिक व्यास्था में स्थिति का अध्ययन करना।

3. दलित महिला के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

4. दलित महिला सशक्तिकरण के कारण समाज के बदलते दृष्टिकोण

सशक्तिकरण के स्वरूप

1. सामाजिक सशक्तिकरण

2. शैक्षिक सशक्तिकरण

3. राजनैतिक सशक्तिकरण

सशक्तिरण और समाज का बदलता दृष्टिकोण

आजादी से पहले की समाजिक स्थिति ऐसी थी कि दलित समाज के लोग के लिए सामान्य रूप से शिक्षा उपलब्ध नहीं थी।आबादी के बाद इस बात को स्वीकार किया गया और इस दिशा में नीति बनाने की जरूरत की महसूस की गई और सभी राजनीतिक दल ने दलितों की

शिक्षा को महत्व दिया परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में भी दलित महिला की स्थिति में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति दलित महिला की साक्षरता दर 1961 में 2.52 थी, जो क्रमशः बढ़तें हुए 2011 में 52.1 हो गई जिससे स्पष्ट होता है कि दलित महिलाओं के शिक्षा में आकाशित वृद्धि हुई है। वे अपनी उपस्थिति देश के सभी विभागों में दर्ज करा रही है जिससे दलित महिला की सशक्तिकरण परिस्थिति होती है।

भारत इस अर्थ में लोकतंत्र है कि भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को जाति व धर्म और लिंग में विभेद किए बिना सभी को समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया है एक अहम मुद्दा महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण के माध्यम से मुक्ति देनी है। औरतों का राजनीतिक सशक्तिकरण पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से आया है। और सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसमें लोग संस्थाओं को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। अगर भारत को सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र बनना है तो राजनीतिक सशक्तिकरण बेहद विश्वसनीय मॉडल है। जिसके माध्यम से न सिर्फ औरतों को प्रतिनिधित्व मिलता है बल्कि इस कम प्रतिनिधित्व वाले और वंचित तबके को भारतीय समाज में प्रशासनिक प्रतिनिधित्व भी मिलता है। लंबे समय तक महिलाओं को राजनीतिक जीवन से इस आधार पर वंचित रखा गया क्योंकि सोच यह थी कि राजनीतिक गतिविधियां पुरुषों के एकाधिकार की व्यवस्था है पिछले 20 सालों में सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र की दिशा में काफी प्रगति देखी गई है और सार्वजनिक जीवन से महिलाओं को संतुलित और समान प्रतिनिधित्व मिला है। बावजूद इसके भारतीय समाज में अब तक लिंग भेद का प्रभाव मौजूद है और औरतों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए अभी भी कुछ कार्य किए जाने बाकी है। सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र तभी काम करता है जब समाज के सभी वर्गो के लोगों को प्रशासन में भागीदारी निर्णय लेने और सामाजिक राजनीतिक के प्रति जवाब दें होने हेतु सशक्त किया जाए लोकतंत्र की इस तरह की दृष्टि हाशिए के लोगों और आम आदमी के सशक्तिकरण से आती है। स्थानीय स्वशासन ही भारतीय लोकतंत्र को सही तरीके से महसूस करने और इसकी सामाजिक सशक्तिकरण प्रकृति और आचरण के अनुरूप एक कुंजी है। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक करण का मतलब है कि गरीब और हाशिए के लोगों की आवाज व्यापक नेटवर्क और सामाजिक जागरूकता पैदा कर सुनी जाए यह लक्ष्य हासिल करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था एक छोटा कदम साबित हुआ है। भारत में सन 1993 का 73वां संविधान संशोधन विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस कानून के आने के साथ ही भारत में 500 जिला पंचायतें, 51,000 प्रखंड और तालुका पंचायत और लगभग 2,25,000 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में है। इन निकायों में संयुक्त रूप से 30 लाख प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है या होना है जिसमें महिलाओं की अच्छी संख्या होगी।

73वें संविधान संशोधन विधेयक ने एक तरह से सांस तक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जिसके माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की समान पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित की जा सकी है। इस संशोधन ने हाशिए की ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करने में बड़ी भूमिका अदा की है। जो पहले स्थानीय स्तर पर अपने क्षमताओं से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। पहले पुरुष एकाधिकार वाला ग्रामीण शक्ति संगठन इन राजनीतिक संस्था में अपने पारंपरिक पकड़ आसानी से गीली नहीं होने देना चाहता था महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण से सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र का लक्ष्य हासिल करने में काफी मदद मिली है।

बिहार में यत्र-तत्र ऐसे कई उदाहरण बिखरे पड़े हैं जिसमें हाशिए पर पड़ी और वंचित महिलाओं ने सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र की शक्तियों के बूते समाज में अधिकार हासिल किया और जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह कर रही है। चाहे बथनाहा, सीतामढ़ी की मुखिया सावित्री देवी हो या सलीमपुर, वैशाली की मुखिया नीलम देखी या माझा गुसांइ पंचायत, गोपालगंज की मुखिया पूनम देवी। यह लोग स्वीकार करती है कि जैसे-जैसे महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बढ़ी है वैसे महिलाओं की महत्ता बाल विकास स्वस्थ और शिक्षा जैसे मुद्दे केन्द्रिय मुद्दे बन गए हैं। इनका मानना है कि 73वें संविधन संशोधन विधेयक के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिया गया। आरक्षण अपने लक्ष्य में सफल रहा है ना ही सीतामढ़ी की मुखिया सावित्री देवी कहती है कि एक समय था। जब महिलाएं दरवाजे के पीछे परदे की ओर से अपनी बात कह पाती थी। लेकिन अब वे दायित्व और अधिकार के साथ बैठती है। विद्यालयों का निरीक्षण करने जाती है, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विकास कार्यो जैसे मनरेगा के कार्यों की देखरेख करती है। घर का काम करते हुए महिलाओं और समाज विकास की परियोजना बैठकों में भाग लेती है और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुषों की समस्याएं भी सुनती हैं, और उनके निराकरण की कोशिश करती है। लेकिन वह यह जरूर कहती है कि यह सब उनके लिए उसके पति की मदद के बिना इतना आसान

भी नहीं था। माझा गुसांई पंचायत गोपालगंज की मुखिया पूनम देवी ये जोड़ती है कि महिला प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वाह करने में खासी मुश्किलें पेश आती हैं। यह पंचायती राज संस्थाओं में प्रभावी भागीदारी की दिशा में एक किस्म की बाधा ही हैं। एक रूढ़िवादी समाज में सावित्री देवी क्योंकि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में कई ऐसी महिला प्रतिनिधि भी है। जिन्होंने प्रदा की वजह से अपनी समस्याएं बताने में हिचकिचाहट दिखाएं इनमें से कई अपने पति के एवज में काम करती है। और यह एक किस्म की अहम भागीदारी ही हैं। ऐसे उदाहरण सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र की राह में बाध पैदा करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य ही इसकी लोकतांत्रिक प्रवृति है और इन संस्थाओं की मजबूती ही इसका प्रमुख उद्देश्य है ताकि जन की व्यापक भागीदारी की बदौलत लोकतंत्र की इन संस्थाओं को दृष्टि और स्थायित्व मिल सके। अगर देश सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र को सही अर्थो में लागू करना चाहता है तो समाज के विभिन्न तबकों की महिलाओं का सशक्तिकरण ही सही विकल्प है। हालांकि महिलाओं को पुरुषों की तरह वोट का अधिकार है और उन्हें गांव से लेकर संसद तक चुनाव लड़ने के अधिकार भी हासिल हैं। बावजूद इसके उनका पूरी तरह सशक्तिकरण होना अभी बाकी है। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र में हमें उन शब्दों में भागीदारीयों को भी हटाना होगा जिसके तहत महिलाएं पुरुषों के एवज में रबड़ स्टांप की तरह काम करती है। यह समय की मांग है कि हम सामाजिक सशक्तिकरण लोकतंत्र के लिए पिछड़े समाज के लिए अवसर पैदा करने हेतु साथ आएं। 2016 के पंचायत चुनाव के बाद बिहार के जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों में दलित महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों में दोनों में अधिकांश महिला प्रतिनिधि विवाहित हैं और उनकी उम्र 30 से 50 वर्षो के बीच है उनके पति ज्यादातर मामलों में सरकारी कर्मचारी हैं महिला पंचायत प्रतिनिधियों यह स्वीकार करती है कि वह स्त्री-पुरुष भेदभाव के मौजूदगी को अच्छी तरह जानती है।

सरकारी तंत्र की ओर से सहयोग के अभाव के कारण महिला आधारित कई कार्यक्रम मंद पड़ जाते हैं और ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं कि सदस्यों को कार्यक्रमों के बारे में अंतिम क्षणों में बताया गया जिसके चलते कार्यक्रम निष्प्रभावी हो गया है। शिक्षा की कमी से न केवल उत्तरदायित्व के कारण निपटारे में बाध होती है। बल्कि पंचायतों के लिए लाभदायक नीति निर्माण में भी बाध पहुंचती है। सरकारी अधिकारी अपने आधिकारिक स्तर पर अक्सर महिला प्रतिनिधियों की अनभिज्ञता का लाभ उठाते हैं। महिला प्रधान नकली प्रतिनिधित्व के विरुद्ध है। क्योंकि यहां वे महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रिया में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं जिनसे उन्हें वंचित रखा गया है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साथ ही चुनाव में पराजित होने वाली महिलाएं भी यह अनुभव करती है कि महिला मतदाताओं की ओर से महिला उम्मीदवार के प्रति आदर का अभाव है। महिला प्रतिनिधियों की शिकायतें रही है कि कई मौके पर उनके पुरुष सहयोगी उनके साथ पक्षपात अथवा स्त्राी-पुरुष भेदभाव करते हैं। महिलाओं से संबंधित प्रस्तावों पर पुरुष सदस्य विदेश पूर्ण तरीके से काम करते हैं। उसी प्रकार वे यह भी अनुभव करती है कि महिलाओं की परिवर्तनशील कोटा प्रणाली को लाभप्रद बनाने के क्रम में स्त्री-पुरुष भेदभाव की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है एक बात यह भी सामने आई है कि महिलाओं से संबंधित नीतियों को तैयार करने में महिला प्रतिनिधियों के बीच एकजुटता का अभाव है इसलिए निर्वाचित निकायों में सदस्यता के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता की तुलना में काम करने के अनुभव की अधिक आवश्यकता है।

निष्कर्षः

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण सन 1992 में किए गए 2 संविधन संशोधन के जरिए दिया गया है। आज इस व्यवस्था को 2 दशक से अधिक बीत चुका है और समीक्षा करने पर पता चलता है कि स्थिति जस की तस है आज भी बिहार में विभिन्न स्तरों से चुनाव जीतकर आए दलित महिलाएं संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का आजादी से प्रयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है। वह सत्ता में तो आ रही है लेकिन स्वतंत्रता पूर्वक फैसले नहीं ले पा रही है। आज भी वे पुरुषों के बल पर ही कुर्सी पर काबिज होती है और फिर उन्हीं के दिशा निर्देशों पर चलने को बाद होती है इससे कठपुतली पन का एक कारण जहां उनकी शिक्षा और राजनीतिक निष्क्रियता है। वहीं इसका दूसरा कारण है कि आज भी उन पर से पुरुषों के बंध्न ढीले नहीं पढ़े हैं। इसलिए वह कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी पुरुष का मुंह ताकती है फिर वह पुरुष चाहे उसका पति हो या देवर या फिर भाई।

जहां तक अशिक्षा और राजनीतिक निष्क्रियता का सवाल है तो पिफर ऐसे कितने पुरुष हैं जो और शिक्षित और निरक्षर हैं। लेकिन फिर भी वह पंचायत से लेकर संसद तक अपने अधिकारों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अपने दायित्व को निभाते हैं जब अशिक्षित होते हुए भी पुरुष राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं तो फिर महिलाएं इस में सफल क्यों नहीं हो पा रही है इस गुड प्रश्न के

मोटे तौर पर दो ही कारण है पहला तो यह कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उन पर समाज परिवार और पुरुषों का शिकंजा कसा हुआ है। दूसरा कारण शायद यह है कि हजारों वर्षो तक घर की चारदीवारी में बंद ही रहने वाली और चैके- चूल्हे से पीसने वाली महिलाओं की सत्ता का सुख भोगने की आदत नहीं पड़ी है। वास्तव में पुरुष महिलाओं के साथ सत्ता का सुख बांटना नहीं ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि इसे महिलाओं का सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में महत्व बढ़ जाने का भय उन्हें सताता रहता है। अधिकतर पुरुषों का प्रयास रहता है कि यदि सत्ता किसी महिला के हाथ में चली भी जाए तो भी वह उसके अधीन बनी रहे उसके इशारों पर नाचती रहे।

सन्दर्भः-

1. आशा कौशिक नारी सशक्तिकरण एवं स्वार्थ प्वाइंट पब्लिक सर्च जयपुर।
2. अतुल कोहली लिखित डेमोक्रेसी एंड डिस्कॉम बेटर इंडिया आज गोइंग क्राइसिस ऑफ़ गवर्नमेंट लिटी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैंब्रिज
3. उपरोक्त पृष्ठ संख्या 113 से 116
4. मधु किश्वर ऑफ़ द ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली 1999 पृष्ठ संख्या 189-192
5. निरोध सिन्हा वूमेन इन इंडिया पॉलिटिक्स ज्ञान पब्लिकेशन न्यू दिल्ली 2000 पृष्ठ संख्या 23-29
6. अतुल कोहली द स्ट्रेक्चर ऑफ़ इंडिया आज डेमोक्रेसी कैंब्रिज यूनिवर्सिटी नई दिल्ली 2008 पृष्ठ संख्या 87-92

Corresponding Author

Priya Ranjan*

Research Scholar, Sociology, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur